न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—128/2019

प्रार्थी:—

मुकनसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी अर्थण्डी तहसील समदडी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण:—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1. श्री खीमाराम आकबल अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 06.08.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की राजस्व गांव अर्थण्डी तहसील समदडी के खेत खसरा संख्या 289, 295, 603, 617, 659, 921/572,922/113,924/609,931/609,935/609,940/243,942/244,944/245, 951/287,958/248,974/227 रकबा क्रमशः 13.05, 04.01,02.11,03.00,02.05,02.05, 07.10,05.16,06.12,06.12,06.00,07.15,02.10,05.00,03.02,27.12 बीघा भूमि खुद काश्त की भूमि है उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम दर्ज करते समय मुकनाराम पुत्र सोनाराम लिख दिया गया जबकि मुकनसिंह पुत्र सोहनसिंह लिखना था प्रार्थी के समस्त राजकीय व अर्द्ध राजकीय दस्तावेज यथा राशनकार्ड,आधारकार्ड,मतदाता परिचय पत्र,भामशाह कार्ड,बैक पास बुक इत्यादि में मुकनसिंह पुत्र सोहनसिंह अंकित है, ग्राम पंचायत रातडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का नाम मुकनसिंह पुत्र सोहनसिंह अंकित है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो की भूमि में मुकनाराम पुत्र सोनाराम नाम दर्ज होने से सराकरी सेवाओं एंव ऋण इत्यादी में भारी परेशानी रहती हैं मुकनसिंह पुत्र सोहनसिंह व मुकनाराम पुत्र सोनाराम नाम से दोनो ही व्यक्ति एकमात्र प्रार्थी स्वंय है जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गया।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी । प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम राजकीय दस्तावेजात के आधार पर मुकनाराम पत्र सोनाराम के स्थान पर मुकनसिंह पुत्र सोहनसिंह किये जाने हेतु निवेदन किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:47:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय राशनकार्ड,आधारकार्ड,मतदाता परिचय पत्र,भामशाह कार्ड,बैक पास बुक दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम मुकनसिंह पुत्र सोहनसिंह दर्ज हैं । ग्राम पंचायत रातडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी यह अंकित है कि मुकनाराम व मुकनसिंह दोनो एक ही व्यक्ति है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा अर्थण्डी तहसील समदडी के खेत खसरा संख्या 289, 295, 603, 617, 659, 921/572, 922/113, 924/609, 931/609, 935/609, 940/243, 942/244,944/245,951/287,958/248,974/227 रकबा क्रमशः 13.05, 04.01,02.11,03.00,02.05,02.06,07.10,05.16,06.12,06.12,06.00,07.15,02.10,05.00,03.02 ,27.12 बीघा भूमि में अंकित अशुद्ध नाम "मुकनाराम पुत्र सोनाराम " के स्थान पर "मुकनसिंह पुत्र सोहनसिंह " शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार समदडी आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक .06.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:47:08 IST
Reason: SelfAttested